

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : 1114


दिनांक : 5/12/11

कार्यालय आदेश

मुख्य अभियंता के कार्यालय आदेश क्रमांक CE/2011-12/204 दिनांक 29.09.2011 द्वारा मण्डल में यूनिफाईड बी.एस.आर 2011 लागू की गई। जिसके संशोधित एवं बिजली, पानी, सीवर लाइन एवं शेष रहे कार्यों को जोड़ते हुये, बनाई जाकर प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन किया जा रहा है। समिति में निम्न सदस्य होंगे :-


1. मुख्य अभियंता संयोजक
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम/द्वितीय/तृतीय।
3. तकनीकी सहायक, मुख्य अभियंता सदस्य सचिव
4. श्री एम.के. शर्मा उप आवासन आयुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण।
5. श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी।
6. आवासीय अभियंता अभियंता, पी.एच.ई खण्ड प्रथम, जयपुर।
7. आवासीय अभियंता, खण्ड विद्युत जयपुर।
8. श्री अमित अग्रवाल, आवासीय अभियंता खण्ड चतुर्थ, जयपुर।
9. श्री आर.सी. जैन, आवासीय अभियंता, खण्ड ग्यारह, जयपुर।

उपरोक्त समिति मण्डल में संशोधित यूनिफाईड बी.एस.आर लागू करने हेतु प्रारूप दिनांक 15.12.2011 तक मुख्य अभियंता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, राज.आ.मं., जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज.आ.मं., जयपुर।
3. तकनीकी सहायक, मुख्य अभियंता, राज.आ.मं., जयपुर।
4. श्री एम.के. गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज.आ.मं., जयपुर।
5. श्री एम.के. शर्मा, उप आवासन आयुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण, राज.आ.मं., जयपुर।
6. आवासीय अभियंता, पी.एच.ई खण्ड प्रथम, राज.आ.मं., जयपुर।
7. आवासीय अभियंता, विद्युत खण्ड, राज.आ.मं., जयपुर।
8. श्री अमित अग्रवाल, आवासीय अभियंता खण्ड चतुर्थ, राज.आ.मं., जयपुर।
9. श्री आर.सी. जैन, आवासीय अभियंता, खण्ड ग्यारह, राज.आ.मं., जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियंता